



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00120
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/25/00188
अपीलकर्ता श्री विजेंद्र यादव

१

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	25.03.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	28.03.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.04.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्रीमती सुमन बाला CPIO, RTI Cell & (DR to CR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	Nil
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	28.05.2025
निर्णय की तारीख	19.06.2025

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 25.03.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी :-

"1. Please provide a certified copy of your office records which clearly informs that under Section 7 (1) of the RTI Act, 2005 exactly who i.e., the applicant or the CPIO/SPIO is solely/exclusively authorized to decide that an information sought by an applicant is an 'information sought for concerns the life or liberty of a person' or not.

2. Please provide a certified copy of your office record which clearly informs about the correct meaning of words i.e. 'expeditiously as possible' used in Section 7 (1) of the RTI Act, 2005.

Whereas, generally, all CPIO/SPIO are providing/denying providing all requested information to an applicant in 30 days/in 48 hours: in hide of Section 8(1) (j) and Section 11 of the RTI Act, 2005: without completing all required formalities, in writing, as defined in Section 11 of the RTI Act, 2005.

3. Please provide a certified copy of your office records which clearly informs that which of the specific information, is a personal information of a third party. Presently, every information, even though it has not been provided by a third party to a public authority, in a confidential sealed cover, are being considered as third – party personal information. Like, a Layout & Building Plan of a private building/property and /or an RDA/Currency Punishment report, of an officer, which is purely an official record of a public authority only.

Please note that the above requested information cannot be considered as personal information of any third party under Section 8 or 11 of the RTI Act, 2005, because the requested information relates to a CIC office records only.

If the PIO found that the language of request for information is not in true conformity of all provisions of the RTI Act, 2005, so that there cannot be any denial, for any reason, for providing requested information to the applicant.

Please refer to Section 6 (1) (b) of the RTI Act, 2005.”

2. प्रदान की गई सूचना

श्रीमती सुमन बाला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 04.04.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

“Point no. 1,2,3.) – You may refer of RTI Act, 2005 & RTI Rules, 2012 which are already available in public domain as well as CIC's website link https://cic.gov.in/sites/default/files/RTI-Act_English.pdf and <https://cic.gov.in/sites/default/files/RTI/RTIRules2012.pdf> respectively. No other information is available on record.”

3. प्रथम अपील का आधार

अपीलकर्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00188 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 19.06.2025



रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


19-6-25

o/c

